



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]  
No. 614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2018

का.आ. 695(अ).—मंत्रालय प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2244(अ.), दिनांक 17 अगस्त, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

## प्रारूप अधिसूचना

और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी अक्षांश 24°01' से 24°12' और पूर्वी देशांतर 85°13' और 85°32' के बीच झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7 किलोमीटर की चौड़ाई में मोटे तौर पर आयताकार

आकार में है और इसका विस्तार राजस्व थानों हजारीबाग, आईचक और पदमा के अंतर्गत आने वाले 72 ग्रामों तक है।

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव विविधता है। विगत में, यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा हिरण प्रजाति सांभर का निवास था। इस पर्यावास में चीतल, बनैला सूअर, काला भालू, सियार, साही, लकड़वग्घा, साल, खरगोश आदि भी रहते हैं। यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ हैं सरपेट गरूड, पैराडाइस फ्लाई कैचर, कौड़िल्ला, बी ईटर, सूइफ्ट, विभिन्न प्रकार के बब्लर्स, ब्लैक ड्रोनो, कठफोड़वा, लैपविंग, मटरमुर्गा, बगुला, गौरिया इत्यादि। यहाँ कभी-कभी मांसभक्षी जैसे भेड़िया और तेंदुआ भी दिखाई पड़ते हैं। हजारीबाग जिले के गजट, 1917 में यह अवलोकित किया गया था कि दंतों की पहाड़ियाँ बाघ और तेंदुओं के स्थायी पर्यावास हैं जो हजारीबाग कस्बों में अक्सर देखे गए थे। इस अभयारण्य के वनों में हाथियों का भी बसेरा है।

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कई छोटी नदी प्रणालियों जैसे क्रेता, सिवाने और दायता के जलग्रहण क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र, कई बरसाती प्राकृतिक नदियों और झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों के रूप में कार्य करता है। इस संरक्षित क्षेत्रों के वन भूजल रिचार्ज करने और मिट्टी के क्षरण को रोक कर नदी में गाद जमाव को रोकने में सहायक हैं।

और, इस संरक्षित क्षेत्र में विविध प्रकार के वन हैं- जैसे कि उत्तरी भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र एवं शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती यह स्तनधारियों की 16, पक्षियों की 124 और वनस्पतियों की 142 प्रजातियों तथा तेंदुआ, रीछ, साल, अजगर, इत्यादि कि जैसी संकटापन्न प्रजातियों की एक की बहुत बड़ी आबादी का उत्कृष्ट पर्यावास है।

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज्ञारखण्ड राज्य में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

**1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**—(1) हजारीबाग अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र हजारीबाग जिले के अंतर्गत 667.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है।

(2) सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है।

(4) हजारीबाग अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:—

- i. पर्यावरण;
- ii. वन और वन्यजीव;
- iii. कृषि और बागवानी;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;
- vi. पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका और शहरी विकास;
- x. पंचायती राज और
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का व्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिपिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

**(1) भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हर्ई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

**(2) प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी।

**(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –**(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्यावर संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी

दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

**(4) प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

**(5) मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

**(6) ध्वनि प्रदूषण-** झारखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

**(7) वायु प्रदूषण—** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

**(8) बहिस्त्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

**(9) ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबन्धन अनुज्ञात किया जाएगा।

**(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबन्धन- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबन्धन अनुज्ञात किया जाएगा।

**(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**(13) ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**(14) सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

**(15) वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

**(16) औद्योगिक ईकाइयाँ:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

**(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**(18)** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियम जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	<p>(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद् खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं;</p> <p>(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के मानीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना।	<p>(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।</p>
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जौन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;</li> <li>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;</li> <li>(iii) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ;</li> <li>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</li> <li>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।</li> </ul> <p>(ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फर्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जौन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
15.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्तों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट/ जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप</b>		
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	का रोपण।	
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. निगरानी समिति:-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- (i) आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग -अध्यक्ष;
- (ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;
- (iii) पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा -सदस्य;
- (iv) वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि -सदस्य;
- (v) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ -सदस्य;
- (vi) राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ -सदस्य;
- (vii) संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी -सदस्य-सचिव

#### **विचारार्थ विषय:-**

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा “उद्योगों के वर्गीकरण, 2016” के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बन्यजीव वार्डन को, **उपांबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।


7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।


[फा.सं. 25/66/2015-ईएसजेड-आरई]


## ललित कपर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाध्य

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ हजारीबाग अभयारण्य, झारखंड का मानचित्र







### हजारीबाग अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा

दक्षिण दिशा: सिवन नदी, करीमती पी.एफ., दारिया मौजा हजारीबाग नगर से बाहर निकलती हैं। हालांकि, स्थानीय और प्रवासों पक्षियों के लिए चारवा बांध के महत्वपूर्ण होने के कारण चारवा ग्राम को पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल किया गया है।

उत्तर दिशा: कटुदग, महेशा और केवत नदी।

पश्चिम दिशा: मोहाने नदी, बसरा मौजा, पानीघाट नाला और लवकुदर लवाकुद्र ग्राम।

पूर्व दिशा: बसोती नाला, देवकुली, चरंगरा और चौथा मौजा।

### उपाबंध-II

#### हजारीबाग अभयारण्य, झारखण्ड की सीमा के भू-निर्देशांक

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चिह्नित भू-निर्देशांक		
विंडु	अक्षांश (उ)	देशांतर (प)
पी-1	24° 10' 21" उ	85° 12' 1" पू
पी-2	24° 9' 7" उ	85° 13' 24" पू
पी-3	24° 10' 55" उ	85° 14' 19" पू
पी-4	24° 10' 38" उ	85° 16' 38" पू
पी-5	24° 10' 34" उ	85° 18' 26" पू

पी-6	24° 10' 32" उ	85° 20' 21" पू
पी-7	24° 9' 55" उ	85° 23' 40" पू
पी-8	24° 11' 11" उ	85° 24' 59" पू
पी-9	24° 10' 9" उ	85° 25' 46" पू
पी-10	24° 10' 55" उ	85° 28' 5" पू
पी-11	24° 9' 58" उ	85° 30' 26" पू
पी-12	24° 7' 54" उ	85° 30' 46" पू
पी-13	24° 7' 26" उ	85° 28' 52" पू
पी-14	24° 6' 27" उ	85° 27' 24" पू
पी-15	24° 5' 57" उ	85° 26' 12" पू
पी-16	24° 5' 7" उ	85° 24' 21" पू
पी-17	24° 5' 11" उ	85° 22' 60" पू
पी-18	24° 5' 4" उ	85° 21' 2" पू
पी-19	24° 3' 48" उ	85° 19' 15" पू
पी-20	24° 2' 20" उ	85° 19' 31" पू
पी-21	24° 2' 25" उ	85° 17' 51" पू
पी-22	24° 3' 11" उ	85° 16' 2" पू
पी-23	24° 4' 29" उ	85° 13' 49" पू
पी-24	24° 5' 43" उ	85° 12' 5" पू
पी-25	24° 6' 37" उ	85° 12' 33" पू
पी-26	24° 8' 36" उ	85° 12' 0" पू
पी-27	24° 8' 36" उ	85° 11' 55" पू
पी-28	24° 8' 28" उ	85° 11' 52" पू
पी-29	24° 9' 25" उ	85° 11' 38" पू

**हजारीबाग अभ्यारण्य, झारखण्ड की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक**

हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर चिह्नित भू-निर्देशांक		
बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पी-1	24° 13' 41" उ	85° 10' 24" पू
पी-2	24° 13' 27" उ	85° 12' 21" पू
पी-3	24° 13' 19" उ	85° 14' 23" पू
पी-4	24° 13' 3" उ	85° 16' 1" पू
पी-5	24° 13' 32" उ	85° 17' 30" पू
पी-6	24° 13' 42" उ	85° 19' 15" पू

पी-7	24° 13' 19" उ	85° 21' 15" पू
पी-8	24° 14' 5" उ	85° 22' 42" पू
पी-9	24° 13' 58" उ	85° 24' 21" पू
पी-10	24° 13' 27" उ	85° 25' 36" पू
पी-11	24° 13' 35" उ	85° 26' 58" पू
पी-12	24° 14' 20" उ	85° 28' 15" पू
पी-13	24° 13' 26" उ	85° 28' 43" पू
पी-14	24° 13' 13" उ	85° 30' 33" पू
पी-15	24° 12' 29" उ	85° 32' 10" पू
पी-16	24° 11' 40" उ	85° 33' 29" पू
पी-17	24° 10' 25" उ	85° 33' 56" पू
पी-18	24° 8' 45" उ	85° 33' 57" पू
पी-19	24° 7' 20" उ	85° 34' 49" पू
पी-20	24° 6' 8" उ	85° 32' 59" पू
पी-21	24° 5' 13" उ	85° 31' 46" पू
पी-22	24° 4' 56" उ	85° 29' 58" पू
पी-23	24° 3' 19" उ	85° 28' 45" पू
पी-24	24° 2' 20" उ	85° 27' 30" पू
पी-25	24° 2' 31" उ	85° 25' 34" पू
पी-26	24° 1' 58" उ	85° 24' 9" पू
पी-27	24° 2' 25" उ	85° 22' 32" पू
पी-28	24° 2' 17" उ	85° 21' 7" पू
पी-29	24° 0' 25" उ	85° 19' 44" पू
पी-30	24° 59' 26" उ	85° 18' 14" पू
पी-31	24° 0' 5" उ	85° 16' 31" पू
पी-32	24° 1' 24" उ	85° 14' 57" पू
पी-33	24° 2' 18" उ	85° 13' 52" पू
पी-34	24° 0' 52" उ	85° 12' 18" पू
पी-35	24° 2' 24" उ	85° 11' 49" पू
पी-36	24° 3' 41" उ	85° 10' 36" पू
पी-37	24° 5' 24" उ	85° 9' 41" पू
पी-38	24° 6' 50" उ	85° 9' 54" पू
पी-39	24° 7' 58" उ	85° 9' 53" पू
पी-40	24° 9' 24" उ	85° 8' 32" पू
पी-41	24° 11' 12" उ	85° 9' 19" पू
पी-42	24° 12' 39" उ	85° 9' 41" पू

पी-43	24° 12' 45" उ	85° 9' 46" पू
पी-44	24° 12' 49" उ	85° 10' 2" पू
पी-45	24° 12' 50" उ	85° 10' 9" पू
पी-46	24° 13' 6" उ	85° 10' 14" पू

उपार्वंध IIIहजारीबाग अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	प्रशासन खंड	जीपीएस निर्देशांक
1	राहेया	इच्छक	24.1123 उ 85.2881 पू
2	काइले	इच्छक	24.1406 उ 85.3404 पू
3	चम्पानगर नवादीह	इच्छक	24.112 उ 85.3163 पू
4	मथवा	इच्छक	24.1225 उ 85.3411 पू
5	टिलर	इच्छक	24.0960 उ 85.3344 पू
6	भुसवा	इच्छक	24.0822 उ 85.3397 पू
7	विकरमा	इच्छक	24.0818 उ 85.3068 पू
8	कोअथु	इच्छक	24.0911 उ 85.3202 पू
9	पोकाहारी	इच्छक	24.1400 उ 85.3724 पू
10	पंदरा	इच्छक	24.1548 उ 85.3901 पू
11	लोतवा	इच्छक	24.1429 उ 85.4013 पू
12	सिङ्घुया	इच्छक	24.1110 उ 85.3916 पू
13	दांगी	इच्छक	24.1187 उ 85.3710 पू
14	फुलदाहा	इच्छक	24.1136 उ 85.3530 पू
15	हादरी	इच्छक	24.0976 उ 85.4079 पू
16	दुमराओं	इच्छक	24.0914 उ 85.3678 पू
17	गुरकुया	इच्छक	24.0986 उ 85.3526 पू
18	परासीराजघाट	इच्छक	24.1426 उ 85.4237 पू
19	पुरान पनीया	इच्छक	24.1513 उ 85.4918 पू
20	सेअल कालान	इच्छक	24.1356 उ 85.4704 पू
21	कालादावार	इच्छक	24.1356 उ 85.4839 पू
22	फुफंदी	इच्छक	24.1343 उ 85.4969 पू
23	मारपा	इच्छक	24.1295 उ 85.5066 पू
24	सेअल खुर्द	इच्छक	24.1306 उ 85.4602 पू

25	तुरी	इच्छक	24.1508 उ 85.4446 पू
26	हासेल	इच्छक	24.1231 उ 85.4455 पू
27	मांदअ	इच्छक	24.1281 उ 85.4533 पू
28	बरकाकालन	इच्छक	24.1184 उ 85.4323 पू
29	परासी	इच्छक	24.0998 उ 85.4231 पू
30	खुतरा	इच्छक	24.1080 उ 85.4271 पू
31	दारीधाघार	इच्छक	24.1711 उ 85.4523 पू
32	गरदीह	इच्छक	24.1649 उ 85.4802 पू
33	सीमराटारी	इच्छक	24.1550 उ 85.5070 पू
34	दुमरी	इच्छक	24.1244 उ 85.2991 पू
35	पीचरी	कटकामस नदी	24.0793 उ 85.2732 पू
36	गोसी	कटकामस नदी	24.0730 उ 85.2531 पू
37	सुलमी	कटकामस नदी	24.0721 उ 85.3162 पू
38	सारूगारू खुर्द	कटकामस नदी	24.0680 उ 85.2742 पू
39	लुपुंग	कटकामस नदी	24.0607 उ 85.3041 पू
40	बहीमार	कटकामस नदी	24.0631 उ 85.2797 पू
41	असधीर	कटकामस नदी	24.0492 उ 85.2956 पू
42	बरतुअ	कटकामस नदी	24.0430 उ 85.3151 पू
43	दुकरा	कटकामस नदी	24.0507 उ 85.3223 पू
44	जलीमा	कटकामस नदी	24.0362 उ 85.3103 पू
45	कुम्भीअंतरं	कटकामस नदी	24.0613 उ 85.2605 पू
46	बगदाहा	कटकामस नदी	24.0554 उ 85.2788 पू
47	डामर	कटकामस नदी	24.0915 उ 85.2767 पू
48	गुरुदीह	कटकामस नदी	24.1173 उ 85.2660 पू
49	साकरजा	कटकामस नदी	24.1189 उ 85.2453 पू
50	नचले	कटकामस नदी	24.1056 उ 85.2459 पू
51	दुमरी	कटकामस नदी	24.1170 उ 85.2365 पू
52	हटकौउना	कटकामस नदी	24.0910 उ 85.2264 पू
53	लखनून	कटकामस नदी	24.0918 उ 85.2097 पू
54	हरहद	कटकामस नदी	24.0865 उ 85.2416 पू
55	इडला	कटकामस नदी	24.1381 उ 85.2144 पू
56	बंझा	कटकामस नदी	24.1367 उ 85.2308 पू
57	उरीदारी	कटकामस नदी	24.1159 उ 85.2233 पू
58	बोरोगारा	कटकामस नदी	24.1058 उ 85.2227 पू
59	खारीका	कटकामस नदी	24.1208 उ 85.2127 पू

60	कल्वादी और कलवारा	कटकामस नदी	24.0885 उ 85.3027 पू
61	धारारा	कटकामस नदी	24.0688 उ 85.3276 पू
62	दंटो कालान	कटकामस नदी	24.1680 उ 85.2406 पू
63	दंटो खुर्द	कटकामस नदी	24.1534 उ 85.2621 पू
64	कुद	कटकामस नदी	24.1500 उ 85.2395 पू
65	बलिया	कटकामस नदी	24.1802 उ 85.2934 पू
66	राइबर	कटकामस नदी	24.1557 उ 85.2892 पू
67	होरीया	कटकामस नदी	24.1528 उ 85.3088 पू
68	सरुगरु कालान	कटकामस नदी	24.0696 उ 85.2835 पू
69	दोनाइ कालान	पदमा	24.1629 उ 85.3339 पू
70	जीहु	पदमा	24.1584 उ 85.3658 पू
71	टीलिर	पदमा	24.1613 उ 85.4030 पू
72	बुंड	पदमा	24.1674 उ 85.4170 पू

एन्क्लेव ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्रामों का नाम	प्रशासन खंड	जीपीएस निर्देशांक
1	कदवा	बरही	24.2208 उ 85.4028 पू
2	घीअही	बरही	24.2245 उ 85.3746 पू
3	कोहुदग	बरही	24.2322 उ 85.3896 पू
4	दौरावा	बरही	24.2209 उ 85.4398 पू
5	बरदग	बरही	24.2283 उ 85.4601 पू
6	चोरगारा	बरही	24.2272 उ 85.4724 पू
7	चालांगा	बरही	24.2137 उ 85.5040 पू
8	जीतपुर	बरही	24.2158 उ 85.4727 पू
9	महुगारा	बरही	24.2102 उ 85.5162 पू

10	पीपराटंर	बरही	24.2113 उ 85.4922 पू
11	कुटमा	बरही	24.2030 उ 85.4717 पू
12	करहारीया	बरही	24.1974 उ 85.4984 पू
13	रानी चुंवा	बरही	24.1949 उ 85.5201 पू
14	नरसिंघावा	बरही	24.1904 उ 85.4642 पू
15	धोबघाट	बरही	24.1828 उ 85.4884 पू
16	चाटनीयातंर	बरकाथा	24.2044 उ 85.5302 पू
17	मेरामगराह	बरकाथा	24.1904 उ 85.5380पू
18	बांघरी	बरकाथा	24.1851 उ 85.5547 पू
19	सीजुया	बरकाथा	24.1788 उ 85.5173 पू
20	चौथा	बरकाथा	24.1587 उ 85.5601 पू
21	पचरुख्बी	बरकाथा	24.1702 उ 85.5513 पू
22	हेथली दीबा	बरकाथा	24.1664 उ 85.5337 पू
23	उपराली दीबो	बरकाथा	24.1664 उ 85.5138 पू
24	राउसा	बरकाथा	24.1619 उ 85.5458 पू
25	राउतरा	हजारीबाग	24.0536 उ 85.3705 पू
26	नागवान	हजारीबाग	24.0478 उ 85.3877 पू
27	चौरचु	हजारीबाग	24.0419 उ 85.4034 पू

28	करमतंरी	इष्टक	24.1485 उ 85.5292 पू
29	वाभनी	इष्टक	24.1485 उ 85.5292 पू
30	दारहा	इष्टक	24.1485 उ 85.5292 पू
31	चेंगरा	इष्टक	24.1222 उ 85.5610 पू
32	दीगहीबसती	इष्टक	24.1268 उ 85.1202 पू
33	उजराही दीगही	इष्टक	24.1198 उ 85.14898 पू
34	अमबातंर	इष्टक	24.1071 उ 85.4611 पू
35	बारका खुर्द	इष्टक	24.1071 उ 85.4611 पू
36	जगरा	इष्टक	24.1095 उ 85.4729 पू
37	थेपय	इष्टक	24.1174 उ 85.4803 पू
38	अरा	इष्टक	24.1164 उ 85.5023 पू
39	रतनपुर	इष्टक	24.1147 उ 85.4579 पू
40	लुंदरू	इष्टक	24.1008 उ 85.5359 पू
41	नारंगा पोखारीया	इष्टक	24.1029 उ 85.4902 पू
42	दोइ	इष्टक	24.1045 उ 85.4829 पू
43	कुरतीया	इष्टक	24.1017 उ 85.5049 पू
44	दारिया	इष्टक	24.1002 उ 85.4696 पू
45	जोगीदीह	इष्टक	24.1044 उ 85.4737 पू

46	खारे	इष्टक	24.1038 उ 85.4442 पू
47	बंसी नगर	इष्टक	24.0908 उ 85.4998 पू
48	रुड	इष्टक	24.0895 उ 85.3866 पू
49	जलाउनद	इष्टक	24.0896 उ 85.4631 पू
50	धारमु	इष्टक	24.0858 उ 85.4215 पू
51	उरका	इष्टक	24.0851 उ 85.4767 पू
52	गोबारबंधा	इष्टक	24.0862 उ 85.3967 पू
53	बरीयाथ	इष्टक	24.0780 उ 85.3978 पू
54	चांदा	इष्टक	24.0802 उ 85.4635 पू
55	चांदवारा	इष्टक	24.0782 उ 85.4156 पू
56	करीयदपुर	इष्टक	24.0776 उ 85.4725 पू
57	पुरनीचाक अलीअस पुरनादीह	इष्टक	24.0942 उ 85.4373 पू
58	बंदुया	इष्टक	24.0948 उ 85.4446 पू
59	देकुली	इष्टक	24.0868 उ 85.5177 पू
60	तेतरीया	इष्टक	24.0924 उ 85.4530 पू
61	लोन्हरी	इष्टक	24.0914 उ 85.4765 पू
62	कुतुमसुकरी	इष्टक	24.0840 उ 85.4281 पू
63	मोकटमा	इष्टक	24.0787 उ 85.4881 पू

64	कुराहा	इष्टक	24.0822 उ 85.4436 पू
65	चापराख	इष्टक	24.0825 उ 85.4076 पू
66	असालवार	इष्टक	24.0800 उ 85.4546 पू
67	छाओनी	इष्टक	24.0786 उ 85.4314 पू
68	गुंजा	इष्टक	24.0725 उ 85.4375 पू
69	मांगुरु	इष्टक	24.0686 उ 85.4803 पू
70	धारमु	इष्टक	24.0723 उ 85.4713 पू
71	कुतेज	इष्टक	24.0692 उ 85.4681 पू
72	मदनपुर	इष्टक	24.0641 उ 85.4678 पू
73	तेपसा	इष्टक	24.0577 उ 85.4108 पू
74	भगवानपुर	इष्टक	24.0602 उ 85.4785 पू
75	सिरसी	इष्टक	24.0759 उ 85.3906 पू
76	असिया	इष्टक	24.0721 उ 85.4588 पू
77	गिरही	इष्टक	24.0722 उ 85.4271 पू
78	बोंगा	इष्टक	24.0674 उ 85.3820 पू
79	वरवा	इष्टक	24.0678 उ 85.4478 पू
80	भुसी	इष्टक	24.0686 उ 85.4148 पू
81	सिमरा	इष्टक	24.0626 उ 85.4365 पू

82	नाओखाप	इधक	24.0573 उ 85.4557 पू
83	कारीमाती खुर्द	इधक	24.0486 उ 85.4339 पू
84	कारी	इधक	24.0590 उ 85.4651 पू
85	अलाउनजा खुर्द	इधक	24.0516 उ 85.4462 पू
86	सेहदा	इधक	24.1094 उ 85.5474 पू
87	सरम	इधक	24.0642 उ 85.3994 पू
88	चिरूय	कटकाम्दग	24.0143 उ 85.2592 पू
89	नवादीह	कटकाम्दग	24.0008 उ 85.2964 पू
90	पाकरार	कटकाम्दग	24.0068 उ 85.2780 पू
91	लुटा	कटकाम्दग	24.0003 उ 85.3091 पू
92	बलियाद	कटकामस नदी	24.0054 उ 85.3214 पू
93	मयहर्गि	कटकामस नदी	24.2089 उ 85.2409 पू
94	दोनारवा	कटकामस नदी	24.2045 उ 85.2476 पू
95	अमझर	कटकामस नदी	24.2139 उ 85.1830 पू
96	बचरा	कटकामस नदी	24.2105 उ 85.1960 पू
97	लवा कुदार	कटकामस नदी	24.2083 उ 85.2068 पू
98	अराभुसिया	कटकामस नदी	24.2110 उ 85.2270 पू
99	बरीकोला झोँझ	कटकामस नदी	24.1978 उ 85.2577 पू

100	कुरहागादा	कटकामस नदी	24.1912 उ 85.2803 पू
101	नवा खाप	कटकामस नदी	24.1919 उ 85.2717 पू
102	दाहुरी	कटकामस नदी	24.1859 उ 85.2268 पू
103	मारीगरा	कटकामस नदी	24.1964 उ 85.1606 पू
104	शाहपुर	कटकामस नदी	24.1694 उ 85.1714 पू
105	झारदग	कटकामस नदी	24.1823 उ 85.2097 पू
106	गुरी	कटकामस नदी	24.1839 उ 85.1976 पू
107	काथउटिया	कटकामस नदी	24.1635 उ 85.2192 पू
108	चिरुया	कटकामस नदी	24.1480 उ 85.1906 पू
109	बंझिया	कटकामस नदी	24.1407 उ 85.1754 पू
110	काटकामसांरउ	कटकामस नदी	24.1230 उ 85.1906 पू
111	उलांज	कटकामस नदी	24.1072 उ 85.1805 पू
112	पुंदबुरु	कटकामस नदी	24.0980 उ 85.1872 पू
113	पावरा	कटकामस नदी	24.0673 उ 85.3531 पू
114	खुतरा	कटकामस नदी	24.0614 उ 85.3319 पू
115	कांरसार	कटकामस नदी	24.0494 उ 85.2680 पू
116	अलागदीहा	कटकामस नदी	24.0288 उ 85.3421 पू
117	मायापुर	कटकामस नदी	24.0422 उ 85.3346 पू

118	हरइना	कटकामस नदी	24.0453 उ 85.3475 पू
119	नवादा	कटकामस नदी	24.0412 उ 85.2650 पू
120	काचांपुर	कटकामस नदी	24.0296 उ 85.3000 पू
121	छारवा	कटकामस नदी	24.0285 उ 85.3221 पू
122	रोमी	कटकामस नदी	24.0276 उ 85.3328 पू
123	अतीया	कटकामस नदी	24.0220 उ 85.3272 पू
124	बेलारगारा	कटकामस नदी	24.0310 उ 85.2627 पू
125	लुंरी	कटकामस नदी	24.0282 उ 85.2859 पू
126	किसुनावा	कटकामस नदी	24.0234 उ 85.2703 पू
127	गोदोखार	कटकामस नदी	24.0158 उ 85.3169 पू
128	हलदग	कटकामस नदी	24.0180 उ 85.2734 पू
129	गरके अलीआस गोवींदपुर	कटकामस नदी	24.0121 उ 85.2924 पू
130	कोंहार	कटकामस नदी	24.2070 उ 85.1682 पू
131	तोरार	कटकामस नदी	24.1848 उ 85.1734 पू
132	पिपरा	कटकामस नदी	24.1039 उ 85.1966 पू
133	जाल्हादीहा	कटकामस नदी	24.0999 उ 85.2011 पू
134	हेसार कुदार	कटकामस नदी	24.1548 उ 85.2052 पू
135	केओला	पदमा	24.2264 उ 85.3135 पू

136	गरु कुरहा	पदमा	24.2175 उ 85.3083 पू
137	सारीया	पदमा	24.2085 उ 85.3354 पू
138	पदमा	पदमा	24.2069 उ 85.3639 पू
139	करमातनर	पदमा	24.2089 उ 85.3874 पू
140	महकोला	पदमा	24.2035 उ 85.4165 पू
141	हरमबार	पदमा	24.2030 उ 85.4302 पू
142	बसाइ	पदमा	24.2002 उ 85.4435 पू
143	चाम्पदीह	पदमा	24.1971 उ 85.4010 पू
144	नवादीह कालान	पदमा	24.1954 उ 85.3147 पू
145	रोमी	पदमा	24.1949 उ 85.3928 पू
146	गरवा	पदमा	24.1937 उ 85.2909 पू
147	घांटो	पदमा	24.1862 उ 85.4258 पू
148	बिहारी	पदमा	24.1830 उ 85.4040 पू
149	सुराजपुर	पदमा	24.1834 उ 85.3895 पू
150	कोइरीदीह	पदमा	24.1939 उ 85.3017 पू
151	लाटी	पदमा	24.1955 उ 85.3648 पू
152	बरगांव	पदमा	24.1883 उ 85.4442 पू
153	परटान	पदमा	24.1908 उ 85.3817 पू

154	कुतीपीसी	पदमा	24.1836 उ 85.3093 पू
155	बंदरबेला	पदमा	24.1844 उ 85.3506 पू
156	कंदादग	पदमा	24.1870 उ 85.3628 पू
157	मुंगरमो	पदमा	24.1885 उ 85.3275 पू
158	दोनाइखुर्द	पदमा	24.1804 उ 85.3387 पू
159	सुजी	पदमा	24.1746 उ 85.3915 पू
160	टीलाइदीह	पदमा	24.1757 उ 85.3833 पू
161	अरार	पदमा	24.1745 उ 85.3700 पू
162	रोल	पदमा	24.1756 उ 85.4299 पू
163	करमातंर	पदमा	24.1775 उ 85.4015 पू
164	माजहगांवा	पदमा	24.1781 उ 85.4348 पू
165	नवादीह	पदमा	24.1703 उ 85.3955 पू
166	सांपुरा	पदमा	24.1715 उ 85.4247 पू
167	महेसा	इटखोरी	24.2203 उ 85.2803 पू
168	मजहगावन	इटखोरी	24.2089 उ 85.2939 पू
169	जेहरा	पथाल्गादा	24.1034 उ 85.1644 पू
170	रातुरवा	पथाल्गादा	24.0868 उ 85.1887 पू
171	छीतुया	पथाल्गादा	24.0884 उ 85.1660 पू

172	जोरी	पथाल्गादा	24.0766 उ 85.1780 पू
173	बरगांव	सीमारीया	24.0613 उ 85.2233 पू
174	तीवाब	सीमारीया	24.0458 उ 85.1965 पू
175	बेस	सीमारीया	24.0533 उ 85.2083 पू
176	भाइपुर	सीमारीया	24.0432 उ 85.2184 पू

उपावंध-IV**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत् : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत् को एक पृथक उपावंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निवटाए गए मामलों का सारा विवरण उपावंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा । विवरण एक पृथक उपावंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा । विवरण एक पृथक उपावंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2018

**S.O. 695.(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2244(E), dated 17<sup>th</sup> August, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby

given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in).

#### **Draft Notification**

**WHEREAS**, the Hazaribag Wildlife Sanctuary lies between latitudes 24°01' to 24°12' North and Longitudes 85°13' and 85°32' East in the Hazaribag district of Jharkhand. The sanctuary occupies an area of 186.25 sq km and is roughly rectangular in shape covering a length of about 26 km from East to West and a breadth of about 7 km. from North to South. It extends over 72 villages falling under the revenue thanas of Hazaribag, Ichak and Padma.

**AND WHEREAS**, the Hazaribag Wildlife sanctuary has a wide range of biodiversity. In the past, it was known as the home of sambhars, the largest deer species of India. The habitat is also shared by cheetals, wild boars, black bears, jackals, porcupines, hyenas, pangolins, hares, etc. The important bird species which can be spotted frequently are serpent eagle, paradise fly catcher, king fisher, bee eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, pea fowl, pond heron, egret, etc. Sometimes carnivores like wolves and leopards are also spotted. In the District Gazetteer of Hazaribag, 1917, it was observed that the hills of Danto served as the permanent habitat of tigers and that of leopards and were frequently visited the town of Hazaribag. The forests of the sanctuary also fall in the home range of elephant.

Hazaribag Wildlife Sanctuary lies in the catchments of many small river systems like Kweta, Siwane and Daita. The Protected Area also serves as the catchments of many rain-fed natural streams and lakes. The forests of the Protected Area intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion.

**AND WHEREAS**, The Protected Area is home to diverse types of forests - Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist & Dry Peninsular Sal Forest and Northern Dry Mixed Deciduous Forest - and is an excellent habitat for significant populations of 16 species of mammals, 124 species of birds and 142 species of flora, including leopards, sloth bears, pangolins, python, etc., which are all endangered species.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Hazaribag Sanctuary as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of 5 kilometres around the boundary of Hazaribag Sanctuary in the State of Jharkhand as the Hazaribag Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The total area of the eco-sensitive zone of Hazaribag Sanctuary is 667.87 square kilometers that falls in Hazaribag district. The extent of Eco-sensitive Zone where is from 2 kilo meters to 5 kilo meters.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure I**;

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**;

(4) The list of villages within Hazaribag Sanctuary Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- i. Environment,
- ii. Forest and Wildlife,

- iii. Agriculture and Horticulture,
- iv. Revenue,
- v. Urban Development,
- vi. Tourism including eco-tourism,
- vii. Rural Development,
- viii. Irrigation and Flood Control,
- ix. Municipal and Urban Development,
- x. Panchayati Raj, and
- xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - iii. Small scale industries not causing pollution;
  - iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - v. Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

- (2) **Natural Springs.**- The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
- (3) **Tourism/Eco-Tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
  - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Jharkhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
  - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.**- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.**- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.**- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

**4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited activities</b>		
1.	Commercial Mining	<p>(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within

		ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
<b>Regulated activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</li> <li>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</li> <li>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</li> <li>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</li> <li>(v) Promoted activities listed in this Notification.</li> </ul> <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming,	Permitted under applicable laws for use of locals.

	aquaculture and fisheries.	
13.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
<b>Promoted activities</b>		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.

34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
37.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco- Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- i. Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribag -Chairperson;
- ii. Representative of State Pollution Control Board -Member;
- iii. One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government -Member;
- iv. A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand -Member;
- v. An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government -Member;
- vi. An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government -Member;
- vii. In-charge Protected Area -Member Secretary.

#### **Terms of Reference.-**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for “classification of Industries, 2016”.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6<sup>th</sup> January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.


[F.No.25/66/2015-ESZ- RE]


LALIT KAPUR, Scientist 'G'

## Annexure-I

## Map of Hazaribag Sanctuary, Jharkhand along with Eco-Sensitive Zone







#### Boundaries of the ESZ around Hazaribag Sanctuary

- Southern side: Siwane river, Karimati P.F., Daria Mouza leaving out Hazaribagh township. However, Charwa village has been included in the eco-sensitive zone because of the importance of Charwa dam for native, as well as migratory, birds.
- Northern side: Kahudag, Mahesha and Kewta Nadi
- Western side: Mohane river, Basra mouza, Panighat nala and Lawakudar village
- Eastern side: Basoti nala, Devkuli, Chrngra and Choutha mouza.

#### Annexure-II

#### Geo Co-ordinates of boundary of Hazaribag Sanctuary, Jharkhand

Geo Co-ordinates marked on the Protected Areas boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary		
Points	Latitude (N)	Longitude (E)
P-1	24° 10' 21" N	85° 12' 1" E
P-2	24° 9' 7" N	85° 13' 24" E
P-3	24° 10' 55" N	85° 14' 19" E
P-4	24° 10' 38" N	85° 16' 38" E
P-5	24° 10' 34" N	85° 18' 26" E
P-6	24° 10' 32" N	85° 20' 21" E
P-7	24° 9' 55" N	85° 23' 40" E
P-8	24° 11' 11" N	85° 24' 59" E

P-9	24° 10' 9" N	85° 25' 46" E
P-10	24° 10' 55" N	85° 28' 5" E
P-11	24° 9' 58" N	85° 30' 26" E
P-12	24° 7' 54" N	85° 30' 46" E
P-13	24° 7' 26" N	85° 28' 52" E
P-14	24° 6' 27" N	85° 27' 24" E
P-15	24° 5' 57" N	85° 26' 12" E
P-16	24° 5' 7" N	85° 24' 21" E
P-17	24° 5' 11" N	85° 22' 60" E
P-18	24° 5' 4" N	85° 21' 2" E
P-19	24° 3' 48" N	85° 19' 15" E
P-20	24° 2' 20" N	85° 19' 31" E
P-21	24° 2' 25" N	85° 17' 51" E
P-22	24° 3' 11" N	85° 16' 2" E
P-23	24° 4' 29" N	85° 13' 49" E
P-24	24° 5' 43" N	85° 12' 5" E
P-25	24° 6' 37" N	85° 12' 33" E
P-26	24° 8' 36" N	85° 12' 0" E
P-27	24° 8' 36" N	85° 11' 55" E
P-28	24° 8' 28" N	85° 11' 52" E
P-29	24° 9' 25" N	85° 11' 38" E

**Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Hazaribag Sanctuary, Jharkhand**

Geo Co-ordinates marked on the ESZ Boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary Boundary		
Points	Latitude (N)	Longitude (E)
P-1	24° 13' 41" N	85° 10' 24" E
P-2	24° 13' 27" N	85° 12' 21" E
P-3	24° 13' 19" N	85° 14' 23" E
P-4	24° 13' 3" N	85° 16' 1" E
P-5	24° 13' 32" N	85° 17' 30" E
P-6	24° 13' 42" N	85° 19' 15" E
P-7	24° 13' 19" N	85° 21' 15" E
P-8	24° 14' 5" N	85° 22' 42" E
P-9	24° 13' 58" N	85° 24' 21" E
P-10	24° 13' 27" N	85° 25' 36" E
P-11	24° 13' 35" N	85° 26' 58" E
P-12	24° 14' 20" N	85° 28' 15" E
P-13	24° 13' 26" N	85° 28' 43" E
P-14	24° 13' 13" N	85° 30' 33" E
P-15	24° 12' 29" N	85° 32' 10" E
P-16	24° 11' 40" N	85° 33' 29" E
P-17	24° 10' 25" N	85° 33' 56" E
P-18	24° 8' 45" N	85° 33' 57" E
P-19	24° 7' 20" N	85° 34' 49" E
P-20	24° 6' 8" N	85° 32' 59" E
P-21	24° 5' 13" N	85° 31' 46" E
P-22	24° 4' 56" N	85° 29' 58" E
P-23	24° 3' 19" N	85° 28' 45" E
P-24	24° 2' 20" N	85° 27' 30" E
P-25	24° 2' 31" N	85° 25' 34" E
P-26	24° 1' 58" N	85° 24' 9" E
P-27	24° 2' 25" N	85° 22' 32" E
P-28	24° 2' 17" N	85° 21' 7" E
P-29	24° 0' 25" N	85° 19' 44" E
P-30	24° 59' 26" N	85° 18' 14" E

P-31	24° 0' 5" N	85° 16' 31" E
P-32	24° 1' 24" N	85° 14' 57" E
P-33	24° 2' 18" N	85° 13' 52" E
P-34	24° 0' 52" N	85° 12' 18" E
P-35	24° 2' 24" N	85° 11' 49" E
P-36	24° 3' 41" N	85° 10' 36" E
P-37	24° 5' 24" N	85° 9' 41" E
P-38	24° 6' 50" N	85° 9' 54" E
P-39	24° 7' 58" N	85° 9' 53" E
P-40	24° 9' 24" N	85° 8' 32" E
P-41	24° 11' 12" N	85° 9' 19" E
P-42	24° 12' 39" N	85° 9' 41" E
P-43	24° 12' 45" N	85° 9' 46" E
P-44	24° 12' 49" N	85° 10' 2" E
P-45	24° 12' 50" N	85° 10' 9" E
P-46	24° 13' 6" N	85° 10' 14" E

**Annexure III****List of villages within the Eco Sensitive Zone of Hazaribag Sanctuary**

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS.co-ordinates
1	Rahea	Ichak	24.1123 N 85.2881 E
2	Kaile	Ichak	24.1406 N 85.3404 E
3	Champanagar Nawadih	Ichak	24.112 N 85.3163 E
4	Mathwa	Ichak	24.1225 N 85.3411 E
5	Tilra	Ichak	24.0960 N 85.3344 E
6	Bhuswa	Ichak	24.0822 N 85.3397 E
7	Bikarama	Ichak	24.0818 N 85.3068 E
8	Koatu	Ichak	24.0911 N 85.3202 E
9	Pokaharia	Ichak	24.1400 N 85.3724 E
10	Pandra	Ichak	24.1548 N 85.3901 E
11	Lotwa	Ichak	24.1429 N 85.4013 E
12	Sijhua	Ichak	24.1110 N 85.3916 E
13	Dangi	Ichak	24.1187 N 85.3710 E
14	Fuldaha	Ichak	24.1136 N 85.3530 E
15	Hadari	Ichak	24.0976 N 85.4079 E
16	Dumraon	Ichak	24.0914 N 85.3678 E
17	Gurkua	Ichak	24.0986 N 85.3526 E
18	Parasirajghat	Ichak	24.1426 N 85.4237 E
19	Puran Pania	Ichak	24.1513 N 85.4918 E

20	Seal Kalan	Ichak	24.1356 N 85.4704 E
21	Kaladawar	Ichak	24.1356 N 85.4839 E
22	Phuphundi.	Ichak	24.1343 N 85.4969 E
23	Marpa	Ichak	24.1295 N 85.5066 E
24	Seal khurd	Ichak	24.1306 N 85.4602 E
25	Turi	Ichak	24.1508 N 85.4446 E
26	Hasel	Ichak	24.1231 N 85.4455 E
27	Manai	Ichak	24.1281 N 85.4533 E
28	Barkakalan	Ichak	24.1184 N 85.4323 E
29	Parasi	Ichak	24.0998 N 85.4231 E
30	Khutra	Ichak	24.1080 N 85.4271 E
31	Darighagar	Ichak	24.1711 N 85.4523 E
32	Gardih	Ichak	24.1649 N 85.4802 E
33	Simratari	Ichak	24.1550 N 85.5070 E
34	Dumri	Ichak	24.1244 N 85.2991 E
35	Pichri	Katkamsandi	24.0793 N 85.2732 E
36	Gosi	Katkamsandi	24.0730 N 85.2531 E
37	Sulmi	Katkamsandi	24.0721 N 85.3162 E
38	Sarugaru Khurd	Katkamsandi	24.0680 N 85.2742 E
39	Lupung	Katkamsandi	24.0607 N 85.3041 E
40	Bahimar	Katkamsandi	24.0631 N 85.2797 E
41	Asdir	Katkamsandi	24.0492 N 85.2956 E
42	Bartua	Katkamsandi	24.0430 N 85.3151 E
43	Dukra	Katkamsandi	24.0507 N 85.3223 E
44	Jalima	Katkamsandi	24.0362 N 85.3103 E
45	Kumbhiatanr	Katkamsandi	24.0613 N 85.2605 E
46	Bagdaha	Katkamsandi	24.0554 N 85.2788 E
47	Danr	Katkamsandi	24.0915 N 85.2767 E
48	Gurudih	Katkamsandi	24.1173 N 85.2660 E
49	Sakarja	Katkamsandi	24.1189 N 85.2453 E
50	Nachle	Katkamsandi	24.1056 N 85.2459 E
51	Dumri	Katkamsandi	24.1170 N 85.2365 E
52	Hatkauna	Katkamsandi	24.0910 N 85.2264 E
53	Lakhnu	Katkamsandi	24.0918 N 85.2097 E
54	Harhad	Katkamsandi	24.0865 N 85.2416 E

55	Edla	Katkamsandi	24.1381 N 85.2144 E
56	Banjha	Katkamsandi	24.1367 N 85.2308 E
57	Uridari	Katkamsandi	24.1159 N 85.2233 E
58	Borogara	Katkamsandi	24.1058 N 85.2227 E
59	Kharika	Katkamsandi	24.1208 N 85.2127 E
60	Kalwadi or Kalwara	Katkamsandi	24.0885 N 85.3027 E
61	Dharhara	Katkamsandi	24.0688 N 85.3276 E
62	Danto Kalan	Katkamsandi	24.1680 N 85.2406 E
63	Danto Khurd	Katkamsandi	24.1534 N 85.2621 E
64	Kud	Katkamsandi	24.1500 N 85.2395 E
65	Balia	Katkamsandi	24.1802 N 85.2934 E
66	Raibar	Katkamsandi	24.1557 N 85.2892 E
67	Horeya	Katkamsandi	24.1528 N 85.3088 E
68	Sarugaru Kalan	Katkamsandi	24.0696 N 85.2835 E
69	Donai Kalan	Padma	24.1629 N 85.3339 E
70	Jihu	Padma	24.1584 N 85.3658 E
71	Tilir	Padma	24.1613 N 85.4030 E
72	Bundu	Padma	24.1674 N 85.4170 E

**List of Enclaved Villages:**

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS.co-ordinates
1	Kadwa	Barhi	24.2208 N 85.4028 E
2	Ghiahi	Barhi	24.2245 N 85.3746 E
3	Kohudag	Barhi	24.2322 N 85.3896 E
4	Daurawa	Barhi	24.2209 N 85.4398 E
5	Bardag	Barhi	24.2283 N 85.4601 E
6	Chorgarha	Barhi	24.2272 N 85.4724 E
7	Chalanga	Barhi	24.2137 N 85.5040 E
8	Jitpur	Barhi	24.2158 N 85.4727 E
9	Mahugara	Barhi	24.2102 N 85.5162 E
10	Pipratana	Barhi	24.2113 N 85.4922 E
11	Kutma	Barhi	24.2030 N 85.4717 E
12	Karharia	Barhi	24.1974 N 85.4984 E

13	Rani Chunwa	Barhi	24.1949 N 85.5201 E
14	Narsinghwa	Barhi	24.1904 N 85.4642 E
15	Dhobghat	Barhi	24.1828 N 85.4884 E
16	Chataniyatatr	Barkatha	24.2044 N 85.5302 E
17	Meramgerah	Barkatha	24.1904 N 85.5380E
18	Ghanghri	Barkatha	24.1851 N 85.5547 E
19	Sijua	Barkatha	24.1788 N 85.5173 E
20	Chotha	Barkatha	24.1587 N 85.5601 E
21	Pachrukhi	Barkatha	24.1702 N 85.5513 E
22	Hethali Diba	Barkatha	24.1664 N 85.5337 E
23	Upraili dibo	Barkatha	24.1664 N 85.5138 E
24	Rausa	Barkatha	24.1619 N 85.5458 E
25	Rautra	Hazaribag	24.0536 N 85.3705 E
26	Nagwan	Hazaribag	24.0478 N 85.3877 E
27	Churchu	Hazaribag	24.0419 N 85.4034 E
28	Karamtanr	Ichak	24.1485 N 85.5292 E
29	Babhni	Ichak	24.1485 N 85.5292 E
30	Darha	Ichak	24.1485 N 85.5292 E
31	Chengra	Ichak	24.1222 N 85.5610 E
32	Dighibasti	Ichak	24.1268 N 85.1202 E
33	Ujrahi Dighi	Ichak	24.1198 N 85.14898 E
34	Ambatanr	Ichak	24.1071 N 85.4611 E
35	Barka khurd	Ichak	24.1071 N 85.4611 E
36	Jagra	Ichak	24.1095 N 85.4729 E
37	Thepay	Ichak	24.1174 N 85.4803 E
38	Ara	Ichak	24.1164 N 85.5023 E
39	Ratanpur	Ichak	24.1147N 85.4579 E
40	Lundru	Ichak	24.1008 N 85.5359 E
41	Naranga Pokharia	Ichak	24.1029 N 85.4902 E
42	doi	Ichak	24.1045 N 85.4829 E

43	Kurthia	Ichak	24.1017 N 85.5049 E
44	Daria	Ichak	24.1002 N 85.4696 E
45	Jogidih	Ichak	24.1044 N 85.4737 E
46	Kharre	Ichak	24.1038 N 85.4442 E
47	Bansi Nagar	Ichak	24.0908 N 85.4998 E
48	Rud	Ichak	24.0895 N 85.3866 E
49	Jalaundh	Ichak	24.0896 N 85.4631 E
50	Dharmu	Ichak	24.0858 N 85.4215 E
51	Urka	Ichak	24.0851 N 85.4767 E
52	Gobarbandha	Ichak	24.0862 N 85.3967 E
53	Bariyath	Ichak	24.0780 N 85.3978 E
54	Chanda	Ichak	24.0802 N 85.4635 E
55	Chandwara	Ichak	24.0782 N 85.4156 E
56	Kariadpur	Ichak	24.0776 N 85.4725 E
57	Purnaichak alias Purnadih	Ichak	24.0942 N 85.4373 E
58	Bandua	Ichak	24.0948 N 85.4446 E
59	Dekuli	Ichak	24.0868 N 85.5177 E
60	Tetaria	Ichak	24.0924 N 85.4530 E
61	Lonhri	Ichak	24.0914 N 85.4765 E
62	Kutumsukri	Ichak	24.0840 N 85.4281 E
63	Moktama	Ichak	24.0787 N 85.4881 E
64	Kuraha	Ichak	24.0822 N 85.4436 E
65	Chaprakh	Ichak	24.0825 N 85.4076 E
66	Asalwar	Ichak	24.0800 N 85.4546 E
67	Chhaoni	Ichak	24.0786 N 85.4314 E
68	Gunja	Ichak	24.0725 N 85.4375 E
69	Manguru	Ichak	24.0686 N 85.4803 E
70	Dharmu	Ichak	24.0723 N 85.4713 E
71	Kutej	Ichak	24.0692 N 85.4681 E
72	Madanpur	Ichak	24.0641 N 85.4678 E

73	Tepsa	Ichak	24.0577 N 85.4108 E
74	Bhagwanpur	Ichak	24.0602 N 85.4785 E
75	Sirsi	Ichak	24.0759 N 85.3906 E
76	Asia	Ichak	24.0721 N 85.4588 E
77	Girahi	Ichak	24.0722 N 85.4271 E
78	Bonga	Ichak	24.0674 N 85.3820 E
79	Barwa	Ichak	24.0678 N 85.4478 E
80	Bhusai	Ichak	24.0686 N 85.4148 E
81	Simra	Ichak	24.0626 N 85.4365 E
82	Naokhap	Ichak	24.0573 N 85.4557 E
83	Karimati khurd	Ichak	24.0486 N 85.4339 E
84	Kari	Ichak	24.0590 N 85.4651 E
85	Alaunja khurd	Ichak	24.0516 N 85.4462 E
86	Senhda	Ichak	24.1094 N 85.5474 E
87	Saram	Ichak	24.0642 N 85.3994 E
88	Chirua	Katkamdag	24.0143 N 85.2592 E
89	Nawadih	Katkamdag	24.0008 N 85.2964 E
90	Pakrar	Katkamdag	24.0068 N 85.2780 E
91	Luta	Katkamdag	24.0003 N 85.3091 E
92	Baliand	Katkamsandi	24.0054 N 85.3214 E
93	Mauhgain	Katkamsandi	24.2089 N 85.2409 E
94	Donarwa	Katkamsandi	24.2045 N 85.2476 E
95	Amjhar	Katkamsandi	24.2139 N 85.1830 E
96	Bachra	Katkamsandi	24.2105 N 85.1960 E
97	Lawa Kudar	Katkamsandi	24.2083 N 85.2068 E
98	Arabhusai	Katkamsandi	24.2110 N 85.2270 E
99	Barikola Jhonjh	Katkamsandi	24.1978 N 85.2577 E
100	Kurhagada	Katkamsandi	24.1912 N 85.2803 E
101	Nawa khap	Katkamsandi	24.1919 N 85.2717 E
102	Dahuri	Katkamsandi	24.1859 N 85.2268 E

103	Marigara	Katkamsandi	24.1964 N 85.1606 E
104	Shahpur	Katkamsandi	24.1694 N 85.1714 E
105	Jhardag	Katkamsandi	24.1823 N 85.2097 E
106	Guri	Katkamsandi	24.1839 N 85.1976 E
107	Kathautia	Katkamsandi	24.1635 N 85.2192 E
108	Chirua	Katkamsandi	24.1480 N 85.1906 E
109	Banjhia	Katkamsandi	24.1407 N 85.1754 E
110	Katkamsanr	Katkamsandi	24.1230 N 85.1906 E
111	Ulanj	Katkamsandi	24.1072 N 85.1805 E
112	Pundboru	Katkamsandi	24.0980 N 85.1872E
113	Pabra	Katkamsandi	24.0673 N 85.3531 E
114	Khutra	Katkamsandi	24.0614 N 85.3319 E
115	Kanrsar	Katkamsandi	24.0494 N 85.2680 E
116	Alagdiha	Katkamsandi	24.0288 N 85.3421 E
117	Mayapur	Katkamsandi	24.0422 N 85.3346 E
118	Harina	Katkamsandi	24.0453 N 85.3475 E
119	Nawada	Katkamsandi	24.0412 N 85.2650 E
120	Kachanpur	Katkamsandi	24.0296 N 85.3000 E
121	Chharwa	Katkamsandi	24.0285 N 85.3221 E
122	Romi	Katkamsandi	24.0276 N 85.3328 E
123	Atia	Katkamsandi	24.0220 N 85.3272 E
124	Belargara	Katkamsandi	24.0310 N 85.2627 E
125	Lunri	Katkamsandi	24.0282 N 85.2859 E
126	Kisunawa	Katkamsandi	24.0234 N 85.2703 E
127	Godokhar	Katkamsandi	24.0158 N 85.3169 E
128	Heldag	Katkamsandi	24.0180 N 85.2734 E
129	Garke alias Gobindpur	Katkamsandi	24.0121 N 85.2924 E
130	Konhar	Katkamsandi	24.2070 N 85.1682 E
131	Torar	Katkamsandi	24.1848 N 85.1734 E
132	Pipra	Katkamsandi	24.1039 N 85.1966 E

133	Jolhadiha	Katkamsandi	24.0999 N 85.2011 E
134	Hesa Kudar	Katkamsandi	24.1548 N 85.2052 E
135	Keola	Padma	24.2264 N 85.3135 E
136	Garu Kurha	Padma	24.2175 N 85.3083 E
137	Saraia	Padma	24.2085 N 85.3354 E
138	Padma	Padma	24.2069 N 85.3639 E
139	Karmatanr	Padma	24.2089 N 85.3874 E
140	Mahkola	Padma	24.2035 N 85.4165 E
141	Harambar	Padma	24.2030 N 85.4302 E
142	Basai	Padma	24.2002 N 85.4435 E
143	Champadiah	Padma	24.1971 N 85.4010 E
144	Nawadih Kalan	Padma	24.1954 N 85.3147 E
145	Romi	Padma	24.1949 N 85.3928 E
146	Garwa	Padma	24.1937 N 85.2909 E
147	Ghanto	Padma	24.1862 N 85.4258 E
148	Bihari	Padma	24.1830 N 85.4040 E
149	Surajpura	Padma	24.1834 N 85.3895 E
150	Koiriadiah	Padma	24.1939 N 85.3017 E
151	Lati	Padma	24.1955 N 85.3648 E
152	Bargaon	Padma	24.1883 N 85.4442 E
153	Partan	Padma	24.1908 N 85.3817 E
154	Kutipisi	Padma	24.1836 N 85.3093 E
155	Bandarbela	Padma	24.1844 N 85.3506 E
156	Kandadag	Padma	24.1870 N 85.3628 E
157	Mungarmao	Padma	24.1885 N 85.3275 E
158	Donaikhurd	Padma	24.1804 N 85.3387 E
159	Suji	Padma	24.1746 N 85.3915 E
160	Tilaidih	Padma	24.1757 N 85.3833 E
161	Arar	Padma	24.1745 N 85.3700 E
162	Rol	Padma	24.1756 N 85.4299 E

163	Karmatanr	Padma	24.1775 N 85.4015 E
164	Majhganwa	Padma	24.1781 N 85.4348 E
165	Nawadih	Padma	24.1703 N 85.3955 E
166	Sonpura	Padma	24.1715 N 85.4247 E
167	Mahesa	Itkhori	24.2203 N 85.2803 E
168	Majhgawan	Itkhori	24.2089 N 85.2939 E
169	Jehra	Pathalgada	24.1034 N 85.1644 E
170	Raturwa	Pathalgada	24.0868 N 85.1887 E
171	Chitua	Pathalgada	24.0884 N 85.1660 E
172	Jori	Pathalgada	24.0766 N 85.1780 E
173	Bargaon	Simaria	24.0613 N 85.2233 E
174	Tibab	Simaria	24.0458 N 85.1965 E
175	Bes	Simaria	24.0533 N 85.2083 E
176	Bhaipur	Simaria	24.0432 N 85.2184 E

**Annexure IV****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.